वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

दिनांक– 15.05.26

पत्रांक : 9 80/वि0प्रा0/निर्माण/2026–27

ई–निविदा सूचना

वाराणसी विकास क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यों हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण या अन्य विकास प्राधिकरणों/सरकारी संस्थाओं/आवास एवं विकास परिषद मे पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। कार्य से सम्बन्धित विस्तृत निविदा, नोटिस तथा ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र एन0आई0सी0 की वेबसाईट **http://etender.up.nic.in** पर देखा जा सकता है। कार्य से सम्बन्धित ई–निविदा प्रपत्र एन0आई0सी0 की वेबसाईट **http://etender.up.nic.in** पर सबमिट की जायेगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख मे)	बिड पद्धति	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रूपये मे) समस्त टैक्स सहित	धरोहर राशि(EMD) (रूपये मे)	ई–निविदा की प्रारम्भ तिथि	ई–निविदा की अन्तिम तिथि एवं समय	बिड खोलने की तिथि एवं समय	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जोन–03 (दशाश्वमेध) के अन्तर्गत स्थित ठठेरी गली, बंगाली टोला स्ट्रीट के सौन्दर्यीकरण का कार्य।	259.78	टू–बिड	10,900.00	5,20,000.00	15.05.2026	04.06.2026 सांय 05:00 बजे	05.06.2026 अपरान्ह 02:00 बजे	09 माह

नियम व शर्ते :–

1. उक्त कार्य की निविदा मूल्य (Tender Fee) एवं अग्रिम धरोहर धनराशि (EMD) इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्राधिकरण की वेबसाइट **vdavns.com** पर उपलब्ध EARNEST MONEY DEPOSIT MANAGEMENT SYSTEM पर **अथवा** https://emd.vdapms.in/ लिंक पर सीधे आनलाइन जमा किया जा सकता है, जिसकी रसीद/प्रपत्र अपलोड कराना होगा।
2. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, लोक निर्माण अनुभाग–7 के शासनादेश सं0–692/23–07–2024 दिनांक–09.08.2024 के अनुसार यदि न्यूनतन निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृत (बी0ओ0क्यू0) लागत से 10 प्रतिशत तक कम (Below) है तो उस पर कोई अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी नहीं ली जायेगी। यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृत (बी0ओ0क्यू0) लागत से से 10 प्रतिशत से अधिक कम (Below) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (Below) के सापेक्ष 01 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम (Below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी जिसे ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध गठन के समय जमा करना होगा।
3. निविदा की दरों में जी0एस0टी0 सम्मिलित नहीं है। जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।
4. निविदा प्रपत्र उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन की वेबसाईट "http://www.etender.up.nic.in" पर देखे जा सकते हैं तथा इसी वेबसाईट से डाउनलोड/अपलोड भी किये जा सकेंगे। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाईट को देखते रहें क्योंकि प्रश्नगत निविदाओं के सम्बन्ध मे कोई बदलाव अथवा सूचना उक्त वेबसाईट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
5. कार्य के मात्रा में कमी/बढ़ोत्तरी अथवा विभाजित करने अथवा किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण में निहित है, जिसके विरूद्ध निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
6. निविदा की स्वीकृति की दशा में जमानत धनराशि हेतु स्वीकृत कार्य लागत की 5 प्रतिशत धनराशि में से उक्त कॉलम–6 के अनुसार जमा धरोहर धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि ठेकेदारों द्वारा देय होगी अथवा सम्पूर्ण आवश्यक जमानत धनराशि का एफ0डी0आर0 (अधिशासी अभियन्ता, वा0वि0प्रा0 के पक्ष में बन्धक हो) जमा करनी होगी।
7. निविदादाता को आयकर विभाग, श्रम विभाग एवं जी0एस0टी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा समय–समय पर लागू आयकर, लेबर सेस एवं अन्य निर्देशित करों/देयता की कटौती ठेकेदार के बिलों से नियमानुसार की जायेगी।
8. स्टेट बार कौंसिल में पंजीकृत व्यक्ति एवं आपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाताओं को निविदा प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नहीं हैं। साथ ही यदि निविदादाता/फर्म के किसी पार्टनर का सगा सम्बन्धी (First blood relation & their dependant), यथा पिता, पुत्र, भाई, बहन, चाचा, दादा, नाना, पौत्र, फर्स्ट कजिन, सास–श्वसुर, दामाद, बहनोई, पत्नी/पति के भाई बहन, मामा, मामा–मामी, चचेरे भाई–बहन, मौसेरे भाई–बहन, आदि वाराणसी विकास प्राधिकरण में कार्यरत है तो उसे भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नही है।
9. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर कार्य/ अनुबन्ध की स्वीकृति को तत्काल निरस्त करते हुए ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर/जमानत धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा ठेकेदार को कालीसूची में डाल दिया जायेगा।
10. वाराणसी विकास प्राधिकरण या अन्य विकास प्राधिकरणों/सरकारी संस्थाओं/आवास एवं विकास परिषद मे पंजीकृत ठेकेदार/फर्मस् निविदा में प्रतिभाग कर सकती है। वाराणसी विकास प्राधिकरण में पंजीकृत निविदादाताओं के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं को सम्बन्धित विभाग का पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। सफल निविदादाताओं को अनुबन्ध के समय वाराणसी विकास प्राधिकरण में नियमानुसार अपनी फर्म का पंजीकरण कराना होगा। फर्म के पंजीकरण की नियमावली प्राधिकरण के वेबसाइट (www.vdavns.com) पर देखी जा सकती है। प्राधिकरण के पंजीकरण नियमावली में दर्शित नियम व शर्तो को पूर्ण करने वाली फर्मो की निविदा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा।

11. निविदादाता द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय से निर्धारित प्रारूप पर निर्गत अद्यावधिक हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा जो निविदा खोलने की तिथि तक अनिवार्यतः वैध हो। अन्य प्रान्तो के निवासित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी द्वारा हैसियत एंव चरित्र प्रमाण पत्र में प्रचलित नियमों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उक्त प्रमाण पत्र ही मान्य होगा तथा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत कराना होगा कि उक्त प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रदत्त अधिकारी ही इस आशय राज्य में सक्षम है।

12. उ०प्र० भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम नियमावली वर्ष–2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा हेतु श्रम विभाग में एकल पंजिकरण कराना अनिवार्य है। अतः अनुबन्ध गठन के पश्चात उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराना होगा, जिसके उपरान्त ही चलित देयक का भुगतान किया जायेगा।

13. लोक निमार्ण विभाग के स्टैण्डर्स बिड डॉक्यूमेन्ट (एस.बी.डी)/मॉडल बिड डॉक्यूमेन्ट (एम.बी.डी) के भाग–4 के प्रस्तर–13 के अनुसार रू0 40.00 लाख से अधिक के कार्यो तथा निर्माण कार्य में लगें मजदूरों की संरक्षा हेतु ठेकेदार द्वारा अपने खर्चे पर कार्य एंव सम्बन्धित कामगारो का बीमा कराना आवश्यक है।

14. निविदा खोलने की तिथि को अवकाश की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।

15. यदि दो अथवा दो से अधिक निविदादाताओं द्वारा निविदा की दरें समान दी जाती है तो न्यूनतम निविदादाताओं से सूचित किये जाने वाले अवधि के अन्दर पुनः सील बन्द लिफाफे में संशोधित दर प्राप्त कर तदनुसार विचार किया जा सकता है। यदि फिर भी समान दरें प्राप्त होती हैं तो लाटरी के माध्मय से निविदा पर विचार किया जायेगा।

16. यदि कतिपय कारणों से कोई फर्म/ठेकेदार द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं किया जाता है तो द्वितीय न्यूनतम निविदादाता से प्रथम न्यूनतम निविदादाता की दर पर सहमति प्राप्त कर कार्य कराया जा सकता है।

17. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

18. जॉइंट वेंचर (JV) निविदा मान्य नहीं होगी।

19. निविदादाताओं द्वारा तकनिकी बिड के साथ अपलोड किये गये प्रपत्रों की सूची (हस्ताक्षरयुक्त) तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाना आवश्यक है।

20. निविदा आमंत्रण सूचना के नियम व शर्तो तथा निविदा प्रपत्रों में उल्लिखित नियम व शर्तों में यदि कोई भिन्नता होती है तो निविदा आमन्त्रण–सूचना की नियम व शर्तें ही मान्य होगी।

21. फर्म द्वारा कराये गये कार्य के किसी मद में कमियॉ परिलक्षित होती है तो उक्त मद में 10 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

22. फर्म/ठेकेदार को अपने कार्यालय का स्पष्ट पता, मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल का विवरण अनिवार्यतः संलग्न करना होगा।

23. शहर में वायु की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए निर्माणाधीन कार्यो से जनित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, (C&D Waste) नियमावली 2016 एवं मा0 N.G.T के अधिनियम 2010 के नियमो के तहत स्वयं के व्यय से निस्तारण करना होगा। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (C&D Waste) प्रसंसकरण शुल्क वाराणसी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्लान्ट तक पहुँचाने पर रू0 173/- प्रति टन है। यदि C&D Waste को स्थल से संग्रहण, परिवाहन व निस्तारण, वाराणसी नगर निगम द्वारा अनुबन्धित फर्म मे0 इण्डो इन्वायरो इण्टीग्रेटेड सॉल्यूशन लिमिटेड के द्वारा करायेंगे, तो उसके लिये वाराणसी नगर निगम द्वारा संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए निर्धारित शुल्क रू0 525/- प्रति टन है। इसके अतिरिक्त निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (C&D Waste) नियमावली–2016 के अनुसार 20 टन/दिन या 300 टन/प्रोजेक्ट C&D Waste उत्पन्न करने वाली संस्थाओं को उक्त C&D Waste को Segregate करना एवं उसके निस्तारण की कार्ययोजना वाराणसी नगर निगम से अनुमोदित कराना अनिवार्य है। उक्त की रसीद, बिल भुगतान के समय प्रस्तुत करना होगा।

24. ऐसी फर्म जिनके 02 या उससे अधिक कार्य इस प्राधिकरण में गतिमान है, उनके द्वारा इस निविदा में प्रतिभाग नहीं किया जा सकता है।

25. निविदादाता द्वारा प्रश्नगत कार्य स्थल का निरीक्षणोपरान्त तथा उक्त समस्त शर्तो को संज्ञान में लेते हुए ही निविदा में प्रतिभाग किया जायेगा।

15/05/26

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक : /वि0प्रा0/निर्माण/2026–27 दिनांक–

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
2. सचिव, विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
3. वित्त नियंत्रक, विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
4. अधिशासी अभियन्ता, विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
5. संबंधित संचिका/नोटिस बोर्ड।

अधिशासी अभियन्ता

Signature Not Verified

Digitally signed by ARVIND KUMAR SHARMA
Date: 2026.05.15 17:16:40 IST
Location: Uttar Pradesh-UP